विज्ञप्ति

संख्या ८(१४७)रेवेन्यू/क/६४ दिनांक ८-१०- सन् १९६४

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उसका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा (29) की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या दिनांक के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा (29) की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन में राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुसरण पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

Sd.

राजस्व शासन सचिव

राजस्थान सरकार

जयपुर

अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टी या वनखण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वनखण्ड या मौजा एकड़ों में — आरक्षित	रूंध	योग	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
सवाई माधोपुर	सपोटरा	चिरै मिल [illegible]	फूटेताल की गुवाड़	३६३२,४१	—	३६३२,४१	सीमा परिशिष्ट संलग्न है
"	"	"	पीपल की गुवाड़ी	१२६४,३६	—	१२६६,३६	
"	"	"	चन्देली	३६२,४९	—	३१२,५६	
"	"	"	चिरमिल	३०२८,०९	—	३०२८,०९	
"	"	"	अरोरा	२६०६,४१	—	२६०६,४१	
"	"	"	कसेड	५९६८,२८	५५६६,[illegible]	६५३४,९६	
"	"	"	टोडा	३२६०,५१	—	३२६०,५१	
"	"	"	सिभारा	१४३६,५४	—	१४३६,५५	
"	"	"	फरई	३३२६,६८	—	३३२६,६८	
"	"	"	[illegible] का गांव	१५००,१६	—	१५००,१६	
"	"	"	राहेर	४५८२,८६	—	४५८२,८६	
"	"	"	आंवली की गुवाड़ी	१०५,३५	—	१०५,३५	
"	"	"	मानिकपुर	२१८८,६२	—	२१८८,६२	
"	"	"	[illegible]	१५१८,६८	—	[illegible]	
			योग	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

रा० मु० क० 86-4-75-2000 फार्म०

TRUE COPY

[illegible] वन संरक्षक [illegible] (राजस्थान)

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय) रणथम्भौर बाघ परियोजना करौली

(Form '07') [illegible]

A

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

संख्या राप. ६(१३०) रा०/ग्रुप/५८   दिनांक २८ । ८   सन् ८.५

चूंकि इनके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा (20) की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या [illegible] दिनांक [illegible] के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा (29) की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन [illegible] सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुसरण पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

[illegible]

शासन सचिव

राजस्थान सरकार
जयपुर

सीमा का विवरण अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टी या वनखण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वनखण्ड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
माधोपुर	सपोटरा	बीरम [illegible]	लोहरा	२१३५,८१	सीमा विवरण परिशिष्ट (अ) संलग्न है)
"	"	"	[illegible]	२४८२.३८	
"	"	"	[illegible]	३२८५,०९	
"	"	"	[illegible]	२८,८५	
"	"	"	[illegible]	३३९,४९	
"	"	"	[illegible]	३८,६८	
"	"	"	[illegible]	[illegible],५०	
"	"	"	[illegible]	[illegible]०६,[illegible]	
"	"	"	[illegible]	[illegible]	
"	"	"	[illegible]	[illegible],६८	
			योग	१५६००,८१	

True Copy

[illegible]

T.C.

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय)
[illegible]

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

संख्या एफ ८ (६०) २१-२/८६ दिनांक २२-८-८६ सन्

चूंकि इसने साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उसका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा (29) की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या दिनांक के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा (29) की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुबन्ध पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

Sd/- राम ...

शासन सचिव
अतिरिक्त उप शासन सचिव (राजस्व)
राजस्थान जयपुर

अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टी या वनखण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वनखण्ड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
सवाई माधोपुर	सपोटरा	नीचे	चौरापुरा	६२५.६५	—
			बुगारिपा	३४.६२	
			डूंगरी उर्फ रूपपुर	१६.०५	
			केगोरखेड़ी	३.०५	—
			योग	६८०.५२ एकड़ १.०५ वर्ग मील या २.६८ वर्ग किलोमीटर	

Sd/
सहायक वन व्यवस्था अधिकारी
भरतपुर (राजस्थान)

T.C.

नकलकर्ता

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय)
रणथम्भौर बाघ परियोजना करौली

२९/१०/०९

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

संख्या एफ. ८(१२४) राज/ग्रु. क. ६२ दिनांक ११-९- सन् ६२

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उसका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 3) की धारा (29) की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या दिनांक के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा (29) की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुबन्ध पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

शासन सचिव

अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टी या वनखण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वनखण्ड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
सवाईमाधोपुर	सपोटरा	किला उदगिर ब्लॉक	घोरियाखात	[illegible].३१	
				६९१८,६२	
			[illegible]	११८.१२	
			[illegible]	१११२,६२	
			[illegible]धरा	१०३६,६२	
---			[illegible]	३८६,२२	
---	---	---	कैमोखरी	१०८२,५०	
---	---	---	जेमरी उर्फ दानर	५०२,०३	
---	---	---	डगरीया	९८२,६८	
---	---	---	धांकरा	१४०,३१	
---	---	---	कपूरखेड़ा	६६८,५३	
---	---	---	कानपुर	१६३,१२	
---	---	---	धूमई	६०२,६८	
---	---	---	अन्कोरिया	५५०,६८	
---	---	---	गोटा	१८५३,६४	
			योग	१२८२६,५८	✓

रा० मु० ज० 86-4-75-2000 फार्म०

True copy

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय)
रणथम्भौर बाघ परियोजना करौली

राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

संख्या एफ० 6 (१२४) रा.क.६२ दिनांक ११-४- सन् ६२

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उसका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम (1953 का राजस्थान अधिनियम संख्या 13) की धारा (20) की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या दिनांक के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा (29) की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय 4 के अनुरूप पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होंगे जो कि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

Sd/-

राजस्व शासन सचिव

अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टी या वनखण्ड	मौजा	क्षेत्रफल वनखण्ड या मोजा एकड़ों में (रक्ष्य घोषित है)	विशेष विवरण
सवाईमाधोपुर	सपोटरा	कानरदा	चौड़काकला	१००.०३	सीमा विवरण की परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।
--	--	--	जामूनी	८३०,६८	
--	--	--	चोरियाखाता	८६८,५६	
--	--	--	गोटा	६९६,३८	
--	--	--	इसनपुर	१००९,४४	
--	--	--	चचेड़ी	२२२३,८१	रक्ष्य ~~[illegible]~~ ४०६.[illegible]
--	--	--	बिलवासा	१,१२६.०३	रक्ष्य [illegible] ६२६००
--	--	--	कानरदा	४६२३,४३	१.८५६km भाग
			योग	११८९०,४६	
				४८.१२६km	

True Copy

[illegible]

Sd/-

रा० मु० उ० 86-4-75-2000 फार्म०

सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी करौली

सफल की

[illegible] T.C.

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय) रणथम्भौर बाघ परियोजना करौली